

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क. :- 206 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 21 / 03 / 14)

म.प्र.राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद।
जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. सूरज सोनी पुत्र पूरन सोनी, उम्र 28 वर्ष।
02. रवि सोनी पुत्र गोपाल सोनी, उम्र 25 वर्ष।
निवासीगण :- वार्ड क्रमांक 07 सदर बाजार गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)।
03. पंकज उर्फ मिर्ची उर्फ डोन पुत्र जयनारायण शर्मा, उम्र 23 वर्ष।
निवासी :- बड़ा बाजार गोहद, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 13 / 11 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची पर भा.द.सं. की धारा :- 452, 341, 294, 323/34 एवं 506 भाग।। "02 काउण्ट" के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 15/01/2014 को दोपहर लगभग 03:00 बजे रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने भानू की घटिया के पास, जो कि एक लोकस्थान है, पर राहुल को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, राहुल को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत राहुल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने आहत राहुल की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की, आहत राहुल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं सहअभियुक्तगण ने उक्त दिनांक को उपरोक्त घटना के पश्चात् फरियादी अल्का के मकान के अन्दर, उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी अल्का को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 15/01/2014 को दोपहर लगभग 03:00 बजे भानू की घटिया के पास, आरोपीगण द्वारा फरियादी अल्का के भाई राहुल का रास्ता रोककर उससे गाली-गलौच करने, उसकी लात-घूसों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने, उपरोक्त घटना के पश्चात् फरियादी

अल्का के घर में प्रवेश कर, फरियादी अल्का को जान से मारने देने की लिखित रिपोर्ट फरियादी अल्का माहौर द्वारा उसी दिनांक थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक :- 18/2014 अन्तर्गत धारा 452, 294, 341, 323, 324, 506 भाग।। सहपटित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी अल्का माहौर, आहत राहुल साक्षी नीलम एवं केदारनाथ के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 341, 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी सूरज सोनी प्रति.सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपीगण सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची ने दिनांक : 15/01/2014 को दोपहर लगभग 03:00 बजे रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने भानू की घटिया के पास, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी अल्का के भाई राहुल को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर राहुल को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत राहुल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने आहत राहुल की लात-घूँसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

04. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आहत राहुल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

05. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उपरोक्त घटना के पश्चात् फरियादी अल्का के मकान के अन्दर, उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

06. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी अल्का को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

07. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 लगायत 06

07. साक्ष्य विवेचना मे सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 06 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में साक्षी/आहत राहुल मौहार अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि फरियादिया अल्का माहौर उसकी बड़ी बहिन है। घटना दिनांक : 15 जनवरी 2014 के दोपहर 02:00 बजे की है। उस उस समय अपने घर से अपनी मोबाइल की दुकान पर जा रहा था। उसकी मोबाइल की दुकान गंज बाजार गोहद में है, वह उस दुकान पर काम करता था। साक्षी आगे कहता है कि भानू की घटिया के रास्ते में आरोपी पंकज शर्मा, रवि सोनी एवं सूरज सोनी ने उसे पकड़ लिया, उक्त तीनों लोगों ने लात-घूसों से उसकी मारपीट की थी, जिससे उसके पीठ, पैर में मूदी चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी सूरज ने उसकी बहिन का मोबाइल नम्बर मांगा था एवं आरोपी बोला था कि अगर नम्बर नहीं दोगें तो रोज ऐसे ही मारेगें। मौके पर तब तक लोग आ गये और मुझे बचा लिया, इसके बाद वह अपने घर चला गया। घटना के बारे में उसने घर वालों को बताया। तब तक तीनों आरोपीगण दुबारा उसके घर पर आ गये और घर के अन्दर घुसकर उन्हें धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देगें और बार-बार कहा तेजाब फेंक देंगे। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद उसकी बहिन उपर से आ गई और मौहल्ले वाले भी एकत्रित हो गये थे, तीनों आरोपीगण वहाँ से भाग गये। इसके बाद वह, उसके पिता, उसकी बहिन थाने रिपोर्ट लिखाने गये। साक्षी आगे कहता है कि थाने पर उसकी बहिन के द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के उपरांत वह अपने घर आ गये। रिपोर्ट करने के अगले दिन पुलिस उसे घर आई और अगले दिन जहाँ घटना हुई थी, वहाँ लेकर गई। जहाँ पुलिस ने नक्शा-मौका प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके घर का भी नक्शा पुलिस के द्वारा बनाया गया था और पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 आहत राहुल अ.सा.01 का कहना है कि घटना दिनांक को वह दिन के पौने दो बजे घर से निकला था और दो बजे उसे आरोपीगण ने पकड़ लिया था। जबकि राहुल की बहिन अल्का अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि राहुल लगभग 02:30 बजे घर से दुकान गया था और लगभग 20-30 मिनट बाद रोता हुआ घर आया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में अल्का अ.सा.02 का कहना है कि घटना दिनांक को राहुल घर से कितने बजे निकला, उसका सही समय

उसे आज याद नहीं है। साक्षी का आगे कहना है कि राहुल अ.सा.01 घर से निकलने के आधे घण्टे के भीतर घर वापस आ गया था। राहुल के पिता केदारनाथ अ.सा.03 का मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में इस वावत् कहना है कि उसका लड़का आहत राहुल अ.सा.01 करीबन 03:00 बजे लौटकर रोता हुआ घर वापस आया। जबकि राहुल की माँ नीलम अ.सा.04 ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया है कि घटना दिनांक : 15/01/2014 की सुबह 09-10 बजे की है। उस समय राहुल खाना खा-पीकर मोबाइल की दुकान पर काम करने के लिए निकला था और थोड़ी ही देर बाद लौटकर वापस आ गया था। इस प्रकार आरोपित प्रथम घटना के समय के संबंध में राहुल अ.सा.01, अल्का अ.सा.02, केदारनाथ अ.सा.03 एवं नीलम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में राहुल अ.सा.01 का कहना है कि उसका मेडीकल परीक्षण घटना दिनांक को रात्रि में 10-11 बजे के बीच हुआ था। इस वावत् डॉ. राजेन्द्र टरेटिया द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आहत राहुल का मेडीकल परीक्षण रात्रि 09:00 बजे किया गया था। इस प्रकार आहत राहुल का मेडीकल परीक्षण किस समय किया गया था, इस वावत् राहुल अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य डॉ.राजेन्द्र टरेटिया द्वारा प्रदान की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। डॉ.राजेन्द्र टरेटिया द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के संबंध में परीक्षित साक्षी डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.05 ने उनके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के अनुसार आहत राहुल को आई चोटें शाम को 06:00 बजे के आस-पास आई होना संभाव्य है। डॉ.आलोक शर्मा ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त चोटें दिन के दो-ढाई बजे आना संभव नहीं है। जबकि अभियोजन कथा के अनुसार आहत राहुल को उक्त चोटें दोपहर 03:00 बजे कारित होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार आहत राहुल को आई चोटों के संबंध में अभियोजन कथा में दर्शित समय एवं डॉ. आलोक शर्मा के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इस वावत् दर्शित समय के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में राहुल अ.सा.01 का कहना है कि भानू की घटिया से बाजार होते हुये जो रास्ता उसके घर को जाता है, उसी रोड़ पर उसकी मारपीट हुई थी। जबकि राहुल की बहिन अल्का अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि राहुल की मारपीट शती बाजार के पास रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने हुई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में अल्का अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लेखी आवेदन प्र.पी.02 में राहुल की मारपीट का स्थान सती बाजार में रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने होना लेख किया है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में राहुल की मारपीट वाला स्थान भानू की घटिया होना दर्शित किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 11 में अल्का अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि भानू की घटिया से रामनाथ हलवाई की दुकान आधा किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। इस प्रकार आहत राहुल की मारपीट की घटना शती बाजार में रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने हुई थी, अथवा भानू की घटिया पर हुई थी, इस वावत् राहुल अ.सा.01 एवं अल्का अ.सा.02 के न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य एवं अल्का के लेखी आवेदन प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में राहुल अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी सूरज से पूर्व में चल रहे झगड़े के समय से उसकी रंजिश चली आ रही है, लेकिन उसने इस सुझाव से इन्कार है कि उसने इसी कारण अपनी बहन अल्का को माध्यम बनाकर आरोपी सूरज के खिलाफ झूठी रिपोर्ट की है। उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तथ्य है, जिसके कारण आरोपीगण द्वारा आहत राहुल की मारपीट किया जाना उतना ही संभव है, जितना की आहत राहुल द्वारा रंजिशवश आरोपीगण को झूठा फंसा दिया जाना।

13. फरियादी अल्का माहौर अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को शक्ल से पहचानती है। वह दिनांक : 15 जनवरी 2014 को दिल्ली से गोहद आई थी। करीबन 02:30 बजे के समय उसका भाई राहुल अपनी दुकान स्थित गंज में गया था, करीबन 20-30 मिनट बाद उसका भाई रोता हुआ घर आया। साक्षी आगे कहती है कि सती बाजार के पास रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने आरोपी सूरज सोनी, सूरज सोनी का भाई रवि सोनी तथा पंकज उर्फ मिर्ची ने उसके भाई को घेर लिया और लात-घूसों से उसकी मारपीट की और उससे बोले कि अपनी बहन का फोन नम्बर दें, नहीं तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद आरोपीगण उसके घर के अन्दर घूस आये और बोले कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे और तेरे मुँह पर तेजाब फेंक देंगे और उनकी मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गंदे-गंदे कमेन्ट्स करते थे। साक्षी आगे कहता है कि घटना के संबंध में उसने पुलिस थाना गोहद में एक लेखी आवेदन दिया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके लेखी आवेदन पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में अल्का अ.सा.02 का कहना है कि घटना से पहले उसने आरोपीगण को नहीं देखा था, ना ही उनसे कोई बातचीत की थी, ना ही आरोपीगण ने उसे कोई धमकी दी, ना उसका मोबाइल नम्बर मांगा। जबकि आहत राहुल अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में यह दर्शित किया है कि आरोपी सूरज के विरुद्ध इस घटना के पूर्व उसकी बहन अल्का ने रिपोर्ट की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राहुल एवं अल्का के पिता केदारनाथ अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वर्ष 2012 से अल्का, राहुल एवं उसकी पत्नी नीलम आरोपी सूरज को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वह वर्ष 2012 से हम लोगों को परेशान कर रहा है। इस प्रकार अल्का अ.सा.02 आरोपीगण को और विशेषकर आरोपी सूरज को आरोपित घटना के पूर्व से जानती थी, अथवा नहीं एवं पूर्व में आरोपी सूरज से उसका कोई विवाद हुआ था, अथवा नहीं, इस वावत् अल्का अ.सा.02, केदारनाथ अ.सा.03 एवं राहुल अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. साक्षी केदारनाथ अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 23/06/2015

से करीबन एक साल पहले संक्रान्ति के एक दिन पहले की है। उसका लड़का खाना खा पीकर करीबन ढाई बजे मोबाइल की दुकान पर काम करने गंज बाजार चला गया था। उसका लड़का करीबन तीन बजे लौटकर रोता हुआ घर आया और घर आकर उसकी लड़की एवं पत्नी को बताया कि आरोपीगण सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची ने भानू की घटिया के पास गंज बाजार में उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी आगे कहता है कि तीनों ने उसे अर्थात् उसके पुत्र राहुल को रोककर पकड़ लिया तथा लात-घूसों से मारपीट की और पीठ में मूदी चोट आई और आरोपीगण उससे उसकी बहिन का नम्बर मांग रहे थे और कह रहे थे कि बहिन का नम्बर नहीं देगा तो तुझे जान से खत्म कर देंगे और तेरी बहिन के उपर तेजाब डाल देंगे। साक्षी आगे कहता है कि फिर आरोपीगण उसके घर के अन्दर घुस आये थे और कह रहे थे कि रिपोर्ट नहीं करना, नहीं जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद वह लोग थाने रिपोर्ट करने गये थे। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में केदारनाथ अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना की जानकारी घर वापस आने पर उसे राहुल उसकी बच्ची अल्का एवं पत्नी नीलम द्वारा दी गई थी, जिससे यह दर्शित होता है कि यह साक्षी केदारनाथ अ.सा.03 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर मात्र अनुश्रुत साक्षी है, जिसकी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 11 में केदारनाथ अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि वह घटना की रिपोर्ट करने के लिए साढ़े तीन बजे थाने पहुँच गया था, उस समय उसका लड़का राहुल, लड़की अल्का एवं पत्नी नीलम पहले से ही थाने पर मौजूद थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह पहुँचा तब अल्का, राहुल एवं नीलम घटना की रिपोर्ट कर चुके थे। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के अनुसार घटना की रिपोर्ट शाम 19:55 अर्थात् 07:55 बजे की गई थी, ना कि दोपहर 03:30 बजे। यहाँ तक की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 में घटना की रिपोर्ट विलम्ब से करने का कारण भी दर्शित किया गया है कि डर की वजह से रिपोर्ट नहीं की जा सकी। इस प्रकार घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में किस समय की गई थी, इस वावत् केदारनाथ अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

17. साक्षी नीलम अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वर्तमान में तीनों आरोपीगण सूरज, पंकज एवं रवि को जानती है, क्योंकि उसके लड़के ने आकर घटना दिनांक को बताया था कि उक्त तीनों आरोपीगण ने उसकी मारपीट की थी। घटना दिनांक : 15/01/2014 की है। उसका लड़का राहुल सुबह 09-10 बजे खाना-खा पीकर भानू की घटिया स्थित मोबाइल की दुकान पर काम करने निकला था। थोड़ी देर बाद ही उसका लड़का राहुल वापस लौटकर घर आया और उसने उसे बताया कि उसे तीन लड़के सूरज, पंकज एवं रवि ने पकड़कर मारपीट की एवं आरोपीगण उससे कह रहे थे कि तू अपनी बहन अल्का का उसे मोबाइल नम्बर दे। उसके बाद आरोपीगण तीनों उसके घर पर सो गये और आरोपीगण बोले कि तुमने उनकी रिपोर्ट की तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे और तेरी बहिन अल्का के उपर तेजाब फेंक देंगे। फिर वह लोग चिल्लाये तो आरोपीगण वहाँ से भाग गये। उसके बाद वह, राहुल एवं अल्का तीनों लोग घटना की रिपोर्ट करने थाना गोहद गये थे। वहाँ पर रिपोर्ट उसकी लड़की अल्का ने लिखाई थी। पुलिस ने इस

संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर नीलम अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को ही करीबन साढ़े तीन बजे आरोपी सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची उसके घर के अन्दर घुस आये थे और उन सब घर वालों को धमकी देने लगे कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो राहुल को जान से खत्म कर देंगे। साक्षी नीलम अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसकी लड़की को गालियाँ दे रहे थे।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 10 में नीलम अ.सा.04 का कहना है कि वह घटना की रिपोर्ट करने चार-पाँच बजे थाने पहुँच गई थी और उसके थाने पहुँचने के एक-डेढ़ घण्टे बाद उसके पति केदारनाथ भी थाने पहुँच गये थे, जबकि केदारनाथ अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के पद क्रमांक 11 में कहना है कि वह रिपोर्ट करने के लिए साढ़े तीन बजे थाने पहुँचा था और उस समय उसी पत्नी नीलम लड़का, राहुल, एवं उसकी लड़की अल्का पहले से ही थाने पर मौजूद थे। इस प्रकार केदारनाथ, नीलम, राहुल एवं अल्का घटना की रिपोर्ट करने कितने बजे थाने पहुँचे, इस वावत् केदारनाथ अ.सा. 03 एवं नीलम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

19. अभियोजन साक्षी राजपाल सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 15/01/2014 को थाना गोहद में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे फरियादिया कु.अल्का माहौर का एक लेखीय आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, उक्त आवेदन पत्र पर से उसके द्वारा अपराध क्रमांक 18/2014 अन्तर्गत धारा 341, 294, 323, 452 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की एफआईआर दर्ज की थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 16/01/2014 को घटना स्थल का नक्शा-मौका बनाया गया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 16/01/2014 को कु. अल्का, राहुल, केदारनाथ एवं नीलक के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 27/02/2014 को आरोपीगण पंकज शर्मा एवं दिनांक : 04/03/2014 को अभियुक्त रवि एवं सूरज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.05, प्र.पी.06 एवं प्र.पी.07 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

20. प्रकरण के विवेचक राजपाल सिंह अ.सा.06 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसने नक्शा-मौका प्र.पी.01 में दो घटनास्थल बताये हैं एवं दोनों के नक्शे बनाये हैं, लेकिन दोनों के बनाने का समय एक ही अंकित किया है। जबकि दोनों स्थानों में दो फर्लांग की दूरी है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में दो सुभिन्न घटनास्थलों के दो पृथक नक्शा-मौका बनाये जाने चाहिए थे, जो कि विवेचक राजपाल अ.सा.06 द्वारा नहीं बनाये गये और नक्शा-मौका प्र.पी.01 में दोनों ही घटनास्थलों को नक्शे बनाये जाने का समय एक ही अंकित किया गया है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राजपाल अ.सा.06 का कहना है कि

नक्शा-मौका में दोनों मानचित्र बनाने में 40 मिनट का अंतर था।

21. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची ने दिनांक :- 15/01/2014 को दोपहर लगभग 03:00 बजे रामनाथ हलवाई की दुकान के सामने भानू की घटिया के पास, जो कि एक लोकस्थान है, पर राहुल को माँ-बहन की अश्लील गालियों देकर क्षोभ कारित किया, राहुल को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत राहुल की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने आहत राहुल की लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियों कारित की, आहत राहुल को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं सहअभियुक्तगण ने उक्त दिनांक को उपरोक्त घटना के पश्चात् फरियादी अलका के मकान के अन्दर, उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया एवं फरियादी अलका को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

22. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची के विरुद्ध धारा 452, 341, 294, 323/34 एवं 506 भाग।। "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः उक्त आरोपीगण सूरज, रवि एवं पंकज उर्फ मिर्ची को धारा 452, 341, 294, 323/34 एवं 506 भाग।। "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

23. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद